

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ
(फैक्स नम्बर-0522-2724030, ई-मेल-logisticoffice4@gmail.com)

संख्या लाजि०-एमटी-25/2025

दिनांक: अप्रैल 23, 2025

सेवा में,

- 1-समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन उत्तर प्रदेश।
- 3-पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ/वाराणसी/प्रयागराज/आगरा
/गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद/कानपुर।

विषय मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के भर्ती/चयन वर्ष-2025 (दिनांक 01-07-2025 से 30-06-2026 तक) की रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के भर्ती/चयन वर्ष-2025 (दिनांक 01-07-2025 से 30-06-2026 तक) की रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु आरक्षी चालक/मुख्य आरक्षी चालको के आवेदन-पत्र एवं संगत नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार विभागीय परीक्षा हेतु अर्ह कर्मियों की सूची उपलब्ध कराया जाना है।

2- मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर चयन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के नियम-5(ग) व 10 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

नियम-5 (ग)

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की शत-प्रतिशत रिक्तियां बोर्ड द्वारा परिशिष्ट में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार चयन द्वारा ऐसे आरक्षी चालको एवं मुख्य आरक्षी चालको में से भरी जायेंगी जो निम्न पात्रताएं पूरी करते हों:-

(एक) भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों।

(दो) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाये गये हों।

(तीन) विगत 05 वर्षों की अवधि में:-

(क) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो या

(ख) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या

(ग) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों।

(चार) विगत 03 वर्षों के अवधि में

(क) कोई लघु दण्ड न मिला हो या

(ख) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिलें हो या

(ग) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।

नियम-10

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के शत-प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा के माध्यम से बोर्ड द्वारा ऐसे आरक्षी चालको एवं मुख्य आरक्षी चालकों में से भरे जायेंगे जो नियम-5(ग) में यथा उल्लिखित अर्हता शर्तें पूर्ण करते हों। कट आफ-डेट निम्नवत् होगी :-

चयन वर्ष	कट आफ-डेट
चयन वर्ष-2025	01-07-2025

3- अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ जनपद/इकाई एवं पीएसी वाहिनियों में नियुक्त समस्त मुख्य आरक्षी चालकों/आरक्षी चालकों को उपरोक्तानुसार सूचित कराते हुए संगत नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार अर्ह मुख्य आरक्षी चालको/आरक्षी चालको से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त कर संलग्न प्रारूप में सूचना चयन वर्ष-2025 हेतु तैयार कराकर (साफ्टकापी/हार्ड कापी में) दिनांक 15.05.2025 तक जोनल कार्यालय/सम्बन्धित मुख्यालय द्वारा सम्बन्धित लिपिक के माध्यम से इस कार्यालय में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी अर्ह मुख्य आरक्षी चालक/आरक्षी चालक का नाम छूटने न पायें, ताकि न्यायालीय विवाद से बचा जा सके, यदि कोई मुख्य आरक्षी चालक/आरक्षी चालक आपके जनपद/इकाई/वाहिनी से अन्यत्र सम्बद्ध/प्रतिनियुक्ति पर गये हो, तो सम्बन्धित जनपद/इकाई/वाहिनी के प्रभारी की यह जिम्मेदारी होगी वह उस कर्मी को प्रत्येक दशा में सूचित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। कृपया उक्त निर्देश का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय, ताकि सभी मुख्य आरक्षी चालक/आरक्षी चालकों को इस सम्बन्ध में जानकारी हो सके और कोई भी पात्र कर्मी उक्त परीक्षा से वंचित न हो सके। उक्त सूचना के साथ कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाय कि प्रेषित की जा रही सूचना में किसी भी पात्र कर्मी का नाम छूटा नहीं है व भेजी जा रही सूचना त्रुटिरहित है।

5- जनपदों/इकाईयो एवं वाहिनियो द्वारा उक्त सूचना सीधे इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। जनपदों द्वारा सूचना अपने जोन कार्यालय तथा जोन कार्यालय द्वारा सूचना जोन स्तर पर संकलित कर उसका मिलान करने के उपरान्त इस कार्यालय में साफ्ट/हार्ड कापी सहित उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार पीएसी वाहिनियो द्वारा सूचना पीएसी मुख्यालय एवं इकाईयो व अनुभागों द्वारा अपनी सूचना अपने मुख्यालय के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदन-पत्र के सभी कालमों को भरा जाना आवश्यक है, कोई भी कालम खाली न छोड़ा जाय।

6- आवेदन पत्र का प्रारूप, सूचना प्रेषित किये जाने का प्रारूप आपके ई-मेल एवं इस कार्यालय की वेबसाइट up police-police units-Logistics-circular पर प्रकाशित किया जा रहा है, जहाँ से डाउनलोड कर उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।


(राज कुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ०प्र० लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ।

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा)

1- अभ्यर्थी का नाम		
2- पिता का नाम		
3- पदनाम		
4- पीएनओ नम्बर		
5- नियुक्ति का स्थान		
6- जन्म तिथि		
7- भर्ती की तिथि		
8- आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि		
9-आरक्षी चालक के पद पर कुल सेवा	कट आफ डेट	वर्ष माह दिन
	दिनांक 01.07.2025 को	
10-वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में सफल/ असफल		
11- मोबाईल नं०		
	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित	

12- कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुख्य आरक्षी चालक/ आरक्षी चालक द्वारा भरी गयी सूचनाओं का परीक्षण अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के आधार पर कर लिया गया है, तथा अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचनाएँ उ०प्र० पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा-नियमावली, 2015 के नियम-5(ग) में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर चयन हेतु निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप हैं। उक्त मुख्य आरक्षी चालक /आरक्षी चालक संगत सेवा नियमावली में निर्धारित मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करता हैं। अतः आवेदन पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित है। आवेदक भर्ती/चयन वर्ष 2025 की रिक्तियों के सापेक्ष मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर चयन हेतु विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र है।

दिनांक:-

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर नाम
पदनाम की मुहर सहित

SELECTION YEAR-2025

DATA FOR PROMOTION TO THE POST OF HEAD CONSTABLE MOTOR TRANSPORT

SN.	ZONE/ UNIT	NAME OF CANDIDATES	FATHER'S NAME	DESIGNATION	PNO	PLACE OF POSTING	DATE OF BIRTH	DATE OF ENLISTMENT	DATE OF SELECTION AS CONSTABLE DRIVER	PASSED/ FAILED IN ANNUAL HEALTH INSECTION	MOBILE NUMBER	FIT/ UNFIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

नोट:-उपर्युक्त सूचना माइक्रोसाफ्ट एक्सल में TIMES NEW ROMAN FONT में तैयार की जायेगी तथा कोई CELL MERGE नहीं किया जायेगा।

सी0आर0के0 के
हस्ताक्षर व मुहर

प्रधान लिपिक के
हस्ताक्षर व मुहर

सी0ओ0 आफिस के
हस्ताक्षर व मुहर

कार्यालय अधीक्षक के
हस्ताक्षर व मुहर